

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राज., जयपुर

क्रमांक : ज. जॉच 5(8)विविध/विधि/अभि/2015/9639-46

दिनांक : 24/08/2020

प्रेषिति -

समस्त उप निदेशक अभियोजन,  
संभाग राज.

विषय : स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रकरणों में अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।  
संदर्भ : विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) के पत्रांक 8(2)राज/वाद/2020 दिनांक 06.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राज्य में स्थापित आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त एनडीपीएस न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सम्बन्धित एनडीपीएस न्यायालयों में पैरवीरत विशिष्ट लोक अभियोजक को अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अतः सन्दर्भित पत्र की छांया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पत्र की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(बी. एन. जोशी)

उप निदेशक अभियोजन (मु.)  
राजस्थान, जयपुर

Room No. 7226, Second Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur 302005 (Rajasthan)

Vidhi/Janch/Brief.Insp/2017 25

Phone and Fax NO 0141 2227806

Website [www.prosecution.rajasthan.gov.in](http://www.prosecution.rajasthan.gov.in) Email [dirpro1974@gmail.com](mailto:dirpro1974@gmail.com)

विधि (विधि)

08/07/2020



राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(2)राज/वाद/2020

जयपुर दिनांक 06-07-2020

समस्त विशिष्ट लोक अभियोजक  
(एन.डी.पी.एस.) प्रकरण,  
राजस्थान ----- ।

**विषय:-** एन.डी.पी.एस. न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आरोप पत्रों में अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट (Briefs) तैयार करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में स्थापित आरम्भिक अधिकारिकता प्राप्त ( Original Jurisdiction ) एन.डी.पी.एस. न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट (Briefs) तैयार करने हेतु संबंधित न्यायालयों में पैरवीरत विशिष्ट लोक अभियोजकगण को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एतद्वारा अधिकृत किया जाता है ।

६०  
( हुकम सिंह राजपुरोहित )  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) ।
4. समस्त एन.डी.पी.एस., न्यायालय ।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर ।
6. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।

६०  
( हुकम सिंह राजपुरोहित )  
शासन सचिव, विधि